

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि-रुद्रप्रयाग ।

पत्रांक:- 374/ छात्रसंघ निर्वाचन / 2026-27

दिनांक:- 22.09.2026

अधिसूचना छात्रसंघ चुनाव (2026-27)

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग के समस्त नियमित(संस्थागत) छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्रसंघ निर्वाचन सत्र - 2026-27 का कार्यक्रम निम्नवत् निर्धारित किया जाता है।

क्र०सं०	निर्वाचन कार्यक्रम (छात्रसंघ)	दिनांक	समय
01	अधिसूचना जारी करने की तिथि	22.09.2026, मंगलवार	सांय 04:00 बजे।
02	नामांकन हेतु प्रपत्रों की ब्रिकी	23.09.2026, बुधवार	प्रातः 11:00 बजे से 03:00 बजे अपराहन तक।
03	नामांकन तिथि	24.09.2026, बृहस्पतिवार	प्रातः 11:00 बजे से 03:00 बजे अपराहन तक।
04	नामांकन वापसी की तिथि	26.09.2026, शनिवार	प्रातः 10:00 बजे से 12:00 बजे मध्यान्ह तक।
05	नामांकन प्रपत्रों की जाँच	26.09.2026, शनिवार	अपराहन 12:30 बजे से 03:00 बजे अपराहन तक।
06	वैध सूची का प्रकाशन	26.09.2026, शनिवार	04:00 बजे अपराहन तक।
07	मतदान	29.09.2026, मंगलवार	प्रातः 08:00 बजे से 01:00 बजे अपराहन तक।
08	मतगणना	29.09.2026, मंगलवार	अपराहन 02:00 बजे से।
09	चुनाव परिणाम की घोषणा एवं शपथ ग्रहण	29.09.2026, मंगलवार	चुनाव परिणाम घोषित होने के तुरन्त बाद।

प्रतिहस्ताक्षरित

प्राचार्य

अ०प्र०ब०राज०स्ना० महाविद्यालय
अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

मुख्य निर्वाचन अधिकारी छात्रसंघ
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अगस्त्यमुनि-रुद्रप्रयाग।

कार्यालय प्राचार्य राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि-रुद्रप्रयाग ।

छात्रसंघ निर्वाचन सत्र 2026-27, प्रत्याशियों हेतु शुल्क का विवरण

क्र०सं०	पदाधिकारी/सदस्य	संख्या	नामांकन प्रपत्र शुल्क रुपये	नामांकन शुल्क रुपये
01	अध्यक्ष	01	250.00	1500.00
02	उपाध्यक्ष	01	250.00	1250.00
03	सचिव	01	250.00	1250.00
04	सह-सचिव(आरक्षित छात्राओं हेतु)	01	250.00	800.00
05	कोषाध्यक्ष(आरक्षित छात्राओं हेतु)	01	250.00	800.00
06	विश्वविद्यालय प्रतिनिधि(यू०आर०)	01	250.00	800.00

प्रतिहस्ताक्षरित


प्राचार्य

प्रचार्य
अ०प्र०रा०रा०रा० महाविद्यालय
अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग



(डॉ० सुखपाल सिंह रौतेला)
प्रभासि छात्रसंघ
राजकीय स्नातको महाविद्यालय
अगस्त्यमुनि-रुद्रप्रयाग ।

अ०प्र०ब० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

सामान्य नियम

अर्हताएं-

1. स्नातक स्तर के छात्र/छात्रा प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए तथा स्नातकोत्तर छात्र/छात्रा प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी। आयु की गणना के लिए मानक तिथि 1 जुलाई 2026 होगी।
2. किसी भी दशा में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी/विद्यार्थी के वर्ष में शैक्षणिक अवशेष नहीं होने चाहिए।
3. प्रत्याशी के पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए, अर्थात् उसका किसी भी प्रकार के अपराध के लिए विचारण और/अथवा दोषसिद्धि न हुई हो।

नामांकन प्रपत्र के सम्बन्ध में -

1. महाविद्यालय का कोई भी छात्र/छात्रा किसी भी पद हेतु एक से अधिक नामांकन पत्र निर्धारित शुल्क जमा करके प्राप्त कर सकता है।
2. नामांकन हेतु केवल महाविद्यालय द्वारा जारी प्रपत्र, जो कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो, मान्य होगा। अन्य किसी भी प्रारूप में नामांकन प्रपत्र स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे।
3. प्रपत्र जांच में यदि किसी प्रत्याशी का नामांकन प्रपत्र अपूर्ण भरें हुए/त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो प्रत्याशी का नामांकन निरस्त होने की दशा में सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं प्रत्याशी की होगी।
4. किसी भी दशा में निर्धारित नामांकन प्रपत्र शुल्क एवं पद हेतु नामांकन शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

नोट: महाविद्यालय संविधान की सिफारिशों में निर्दिष्ट आचार संहिता से सम्बन्धित अन्य सभी प्रावधान लागू होंगे। श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ संविधान में उल्लेखित प्रावधानों/नियम यथावत स्वीकार्य/लागू होंगे।

प्राचार्य/संरक्षक

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अ०प्र०ब० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग।



मुख्य निर्वाचन अधिकारी

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग।

अ०प्र०ब० राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग

छात्र संघ सामान्य निर्वाचन सत्र 2026-27

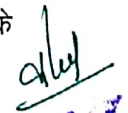
नियमावली/आचार संहिता

1. कोई भी प्रत्याशी कोई ऐसी गतिविधि अथवा उसका अवप्रेरण नहीं करेगा, जिससे विभेद को बढ़ावा मिलता हो अथवा पारस्परिक विद्वेष उत्पन्न होता हो, अथवा विभिन्न जातियों, धार्मिक एवं भाषाई समुदायों अथवा विभिन्न छात्र समूहों के मध्य विवाद पैदा होता हो।
2. अन्य प्रत्याशियों की आलोचना केवल उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्ववृत्तों और कार्यों तक सीमित होनी चाहिये। सभी प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशियों अथवा उनके समर्थकों के निजी जीवन के सभी पहलुओं, जो लोक कार्य-कलापों से सम्बन्धित नहीं हैं, की आलोचना से दूर रहेंगे। अन्य प्रत्याशियों और उनके समर्थकों पर अप्रमाणित आरोप लगाने अथवा मिथ्या वर्णन करने से भी प्रत्याशी दूर रहेंगे।
3. मत प्राप्त करने के लिये जाति अथवा साम्प्रदायिक भावना के आधार पर आग्रह नहीं किया जायेगा। परिसर के अन्दर अथवा बाहर पूजा स्थलों का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जायेगा।
4. सभी प्रत्याशियों हेतु ऐसे कृत्य अथवा उनका उत्प्रेरण करना, जो कि भ्रष्ट आचरण तथा अपराध की श्रेणी में आते हों, जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें आतंकित करना, छद्म मतदाता बनाना, मतदान केन्द्र से 100 मीटर की परिधि के भीतर चुनाव प्रचार करना, मतदान समाप्ति के निर्धारित समय से 24 घंटे पूर्व तक की अवधि के भीतर जनसभा करना तथा मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक आवागमन अथवा यातायात के साधनों द्वारा लाना-ले जाना प्रतिषिद्ध होगा।
5. किसी भी प्रत्याशी को प्रचार के लिए मुद्रित इशतहार, मुद्रित पैम्पलेट (पुस्तिका) अथवा किसी अन्य मुद्रित सामग्री के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। प्रचार के लिए प्रत्याशी केवल हाथ से बने हुये, ऐसे इशतहारों का प्रयोग कर सकते हैं, जो विहित व्यय के अन्तर्गत ही सृजित किये गये हैं।
6. किसी भी प्रत्याशी को परिसर/महाविद्यालय के बाहर जुलूस निकालने अथवा जनसभा करने अथवा किसी भी तरह का प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी।
7. बिना परिसर/महाविद्यालय प्राधिकारियों की लिखित अनुमति के किसी भी प्रत्याशी अथवा उसके समर्थकों को महाविद्यालय की किसी भी सम्पत्ति को किसी भी उद्देश्य के लिए विरूपित अथवा क्षतिग्रस्त नहीं करने दिया जायेगा। सभी प्रत्याशी संयुक्त और पृथक् रूप से परिसर/महाविद्यालय की सम्पत्ति को विरूपित/क्षतिग्रस्त करने के लिए दायित्वाधीन होंगे।
8. प्रत्याशी चुनाव के दौरान जुलूस और/अथवा जन सभायें कर सकते हैं, परन्तु इस प्रकार के जुलूसों और जनसभाओं से महाविद्यालय में किसी भी प्रकार से कक्षाओं के संचालन और अन्य शैक्षणिक और सह शैक्षणिक कार्य-कलापों में व्यवधान नहीं डाला जा सकेगा। ऐसा कोई

प्राचार्य

- जुलूस/जनसभा महाविद्यालय प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
9. प्रचार के उद्देश्य के लिए ध्वनिक्षेपक (लाउडस्पीकर), वाहनों और जानवरों का प्रयोग प्रतिबंधित होगा।
 10. चुनाव व्यय अधिकतम 25000.00(रुपया पच्चीस हजार मात्र) होगा। प्रत्याशियों को दो सप्ताह के भीतर अपने चुनावी खर्च का समस्त व्यौरा महाविद्यालय को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 11. छात्र/छात्राओं/प्राध्यापकों /कर्मचारियों एवं प्राचार्य पर व्यक्तिगत आरोप लगाना वर्जित है।
 12. परिसर में हथियार एवं विस्फोटक सामग्री आना वर्जित है।
 13. अनुशासनहीनता/ गुटबाजी/हिंसा/मारपीट/अभद्रता/अश्लीलता करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी
 14. महाविद्यालय में निम्न 05 पदाधिकारियों के पदों हेतु निर्वाचन सम्पन्न कराये जायेंगे— अध्यक्ष (01), उपाध्यक्ष (01), सचिव (01), सह-सचिव (छात्र हेतु आरक्षित-01), कोषाध्यक्ष (छात्रा हेतु आरक्षित-01)। छात्र संघ पदाधिकारियों के साथ ऐपेक्स बॉडी हेतु विश्वविद्यालय प्रतिनिधि (यू0आर0-01) का चुनाव भी प्रत्यक्ष मतदान द्वारा सम्पन्न कराया जायेगा। कोई भी प्रत्याशी एक से अधिक पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता है।
 15. छात्रसंघ चुनाव में उम्मीदवार हेतु अर्हता/पात्रता
 - (a). प्रत्याशी महाविद्यालय का पूर्णकालिक विद्यार्थी होना चाहिए और उसे दूरस्थ/व्यक्तिगत शिक्षा का विद्यार्थी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि सभी अर्ह प्रत्याशियों को पूर्णकालिक पाठ्यक्रम का संस्थागत विद्यार्थी होना चाहिए। पाठ्यक्रम की अवधि कम से कम एक वर्ष की होनी चाहिए।
 - (b). स्नातक स्तर के छात्र/छात्रा प्रत्याशी की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम आयु 22 वर्ष होनी चाहिए तथा स्नातकोत्तर छात्र/छात्रा प्रत्याशी के लिए चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु 25 वर्ष होगी। आयु की गणना के लिए मानक तिथि 1 जुलाई 2026 होगी।
 - (c). कतिपय छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रसंघ निर्वाचन हेतु विगत वर्ष में बैक अथवा अनुत्तीर्ण होने के कारण पुनः सम्बन्धित संकाय, संकाय परिवर्तन एवं विषय परिवर्तन कर स्नातक अथवा स्नातकोत्तर के प्रथम सेमेस्टर में एन0ई0पी0 2020 के तहत प्रवेश लिया हो, वे छात्रसंघ निर्वाचन लड़ने हेतु अर्ह नहीं माने जायेंगे।
 - (d). प्रत्याशी के पास महाविद्यालय छात्र संघ के पदाधिकारी के रूप में चुनाव लड़ने का मात्र एक अवसर होगा। कार्यकारिणी सदस्य/विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में चुनाव में प्रतिभाग करने के दो अवसर मिलेंगे।




प्राचार्य

- (e). प्रत्याशी का पूर्व का कोई आपराधिक रिकार्ड नहीं होना चाहिए, अर्थात् उसका किसी भी प्रकार के अपराध के लिए विचारण और/अथवा दोषसिद्धि न हुई हो। इस आशय का शपथ पत्र प्रत्याशी द्वारा परिशिष्ट-02 में उल्लिखित प्रारूप में प्रस्तुत किया जायेगा।
16. नामांकन दाखिल करने हेतु निर्धारित प्रपत्र/प्रारूप (परिशिष्ट) में नामांकन निर्धारित तिथि एवं समय तक ही स्वीकार किया जायेगा। अपूर्ण भरे गये नामांकन प्रपत्र निरस्त कर दिया जायेगा।
17. नामांकन प्रपत्र के साथ हाईस्कूल प्रमाण पत्र, इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, फीस रसीद, स्नातक प्रथम वर्ष/सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण से अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण तक सभी परीक्षाओं की अंक तालिकाओं की मूलप्रति एवं प्रमाणित छाया प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य होगा।
18. प्रत्येक पद के प्रत्याशी हेतु एक-एक प्रस्तावक और एक-एक अनुमोदक होगा जो महाविद्यालय का संस्थागत छात्र/छात्रा होगा/होगी। एक प्रत्याशी का प्रस्तावक और अनुमोदक उसी पद हेतु अन्य किसी प्रत्याशी का प्रस्तावक अथवा अनुमोदक नहीं हो सकता।
19. नामांकन प्रपत्र प्रस्तुत करते समय प्रत्याशी, उसके प्रस्तावक एवं अनुमोदक को स्वयं उपस्थित होकर नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थान में हस्ताक्षर करने होंगे। प्रत्याशी, प्रस्तावक एवं अनुमोदक के पास नामांकन दाखिल करते समय महाविद्यालय का वर्तमान सत्र 2026-27 का परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
20. नामांकन प्रपत्र में निर्धारित स्थानों पर प्रत्याशी/प्रस्तावक/अनुमोदक का वही नाम अंकित होना चाहिए जो हाईस्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार संस्था में दर्ज किया गया है। को भी उपनाम मान्य नहीं होगा।
21. प्रत्याशी को नामांकन प्रपत्र दाखिल करते समय (परिशिष्ट-2) में नामांकन शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह छात्र संघ संविधान में उल्लिखित आचार संहिता का पालन करेगा/करेगी। आचार संहिता का उल्लंघन करने की दशा में उसे छात्र संघ निर्वाचन प्रक्रिया से अलग कर दिया जायेगा अथवा निर्वाचन रद्द कर दिया जायेगा। ऐसा शपथ पत्र रू0 10/- के स्टाम्प पेपर पर ओथ कमिश्नर या नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए।
22. नामांकन प्रपत्र तथा नामांकन शुल्क राशि किसी भी दशा में वापस नहीं की जायेगी।
23. नामांकन के समय प्रत्याशियों को कक्षा प्रारम्भ होने की तिथि से न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति का प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। जमा न करने की स्थिति में सम्बन्धित प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया जायेगा।
24. किसी पद के लिये केवल एक नामांकन पत्र के वैध होने की स्थिति में सम्बन्धित प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जायेगा।




प्राचार्य 

25. नामांकन वापसी हेतु प्रत्याशी द्वारा दो साक्ष्यों, जो संस्था में वर्तमान सत्र 2026-27 में संस्थागत छात्र/छात्रा होंगे, के साथ निर्धारित प्रारूप में (परिशिष्ट-03) निर्धारित तिथि और समय के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होकर आवेदन करना होगा। आवेदन करते समय प्रत्याशी एवं साक्ष्यों को संस्था का अपना परिचय पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
26. नामांकन वापसी के बाद वैध प्रत्याशियों की सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हस्ताक्षर से पदवार अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जारी की जायेगी। यदि एक पद हेतु दो या दो से अधिक प्रत्याशियों के नाम में कोई भिन्नता नहीं है तो प्राथमिक क्रम में जन्मतिथि को आधार माना जाएगा एवं ज्येष्ठ आयु वाले प्रत्याशी का नाम क्रमांक में ऊपर होगा। यदि जन्मतिथि में भी समानता होती है तो तत्पश्चात पिता के नाम का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।
27. मतदान के दिन विभिन्न छात्र संगठन और प्रत्याशी-
- निर्वाचन के कार्य में लगे हुये अधिकारियों के साथ शांतिपूर्ण और व्यवस्थित निर्वाचन सम्पन्न कराने तथा मतदाताओं को बिना किसी खीज अथवा व्यवधान पहुंचाये उनके स्वतन्त्र मतदान के उपयोग में सहयोग करेंगे।
 - मतदान के दिन पेयजल के अलावा कोई भी तरल अथवा ठोस पदार्थ को पीने अथवा खाने के लिए न देंगे और न वितरित करेंगे।
 - मतदान के दिन किसी भी प्रकार का प्रचार नहीं करेंगे।
28. मतदाताओं के अतिरिक्त कोई भी छात्र/व्यक्ति, निर्वाचन समिति अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्राधिकारियों से प्राप्त वैध परिपत्र/पत्र के बिना निर्वाचन स्थल में प्रवेश नहीं करेगा।
29. मतदान कक्ष एवं मतगणना के लिए केवल प्रत्याशी या प्रत्याशी का एक अधिकृत अभिकर्ता ही कक्ष के अन्दर उपस्थित रहेगा।
30. मतदान प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 5 मिनट पूर्व तक कोई प्रत्याशी/अभिकर्ता मतदान स्थल पर उपस्थित नहीं होता तो मतदान अधिकारी मतपेटी को सील बंध कर निर्धारित समय में मतदान प्रारम्भ करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।
31. मतदान सम्बन्धी कोई भी आपत्ति उसी समय प्रस्तुत की जाएगी जिस समय मतदान हो रहा है। मतदान समाप्त होने पर मतदान सम्बन्धी किसी भी शिकायत पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
32. मतदान के बाद मतपेटियों पर प्रत्याशी/अभिकर्ता के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
33. मतदान के उपरान्त सभी मतदाता छात्र/छात्रा महाविद्यालय परिसर से बाहर चले जाएंगे।
34. शास्ति: उपरोक्त आचार संहिता के विपरीत कार्य करने में प्रत्याशी का प्रत्याशित्व अथवा उसका निर्वाचित पद, जैसी भी स्थिति हो, निराकृत हो सकता है। महाविद्यालय प्राधिकारी उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही भी कर सकते हैं।

प्रचार्य

- नोट: श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय छात्र संघ संविधान में उल्लेखित प्रावधानों/नियम यथावत स्वीकार्य/लागू होंगे।

अ० प्र० अ० सत्य० मुनि, रुद्र प्रयाग।
अगस्त्यमुनि, रुद्र प्रयाग।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
अगस्त्यमुनि, रुद्रप्रयाग।